मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

17802/22/वि–7/जरोयो/95 भोपाल दिनाक 19 सितम्बर, 95

ति,

1. **कलेक्टर (समस्त)**
   मध्यप्रदेश।

2. **परियोजना अधिकारी,**
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (समस्त)

विषय : रोजगार आश्वासन योजनान्तर्गत विकास खण्डों में प्राथमिक शालाओं के लिए 'मध्यान्ह भोजन' कार्यक्रम योजना।

भारत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि देश के उन सभी विकास खण्डों में, जहां रोजगार आश्वासन योजना (Employment Assurance Scheme) लागू है, स्थित प्राथमिक शालाओं में 'मध्यान्ह भोजन' कार्यक्रम लागू किया जायेगा। इस हेतु भारत शासन निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करायेगा परन्तु वितरण एवं भोजन आदि तैयार करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। इस योजना का लाभ चयनित विकास खण्डों में स्थित सभी शासकीय, शासन से अनुदान प्राप्त तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलायी जा रही प्राथमिक शालाओं को मिलेगा। प्राथमिक शाला का अर्थ प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में लगने वाली कक्षा 1 से 5 है। राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए ''नोडल'' विभाग घोषित किया गया है। सभी संबंधित विभागों की सहमति से निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2. योजना का स्वरूप

मध्यप्रदेश में यह योजना 297 विकास खण्डों में लागू की जा रही है। यह योजना संपूर्ण लक्ष्य क्षेत्र में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को ''गर्म भोजन'' (Hot Meal) देकर लागू की जायेगी। यह ''गर्म भोजन'' तैयार करने का कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा किया जावेगा।

(परिशिष्ट - 1)

3. योजना लागू करने की तिथि

समस्त लक्ष्य विकास खण्डों में यह योजना 2 अक्टूबर, 95 से लागू की जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 अक्टूबर, 95 के पूर्व यह समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जायें जिनके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को पहली बार शाला के छात्र–छात्राओं को ''गर्म भोजन'' उपलब्ध कराया जा सके। इस हेतु शासकीय अवकाश होने के बावजूद स्कूल में बच्चों को विशेष रूप से बुलाकर उन्हें भोजन दिया जाए।

4. योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य बिन्दु

4.1 प्रत्येक जिले को भारत शासन द्वारा प्रति तिमाही के लिए खाद्यान्न का आवंटन दिया जायेगा। योजना 15 अगस्त, 95 से लागू की गयी है। 15 अगस्त, 95 से 31 अक्टूबर, 95 तक का आवंटन प्राप्त हो गया है। खाद्य विभाग इसे आपको पृथक से सूचित करेगा। यह खाद्यान्न आवंटन पूर्व में किए गए स्कूल सर्वेक्षण पर आधारित है। भविष्य में भी आवंटन की जानकारी आपको यथा समय दी जायेगी।

............निरन्तर

शालावार आवंटन का निर्धारण

4.2 इस ज्ञापन के प्राप्त होते ही कलेक्टर को जिला स्तर पर प्राप्त आवंटन को शालावार विभाजित करना होगा। इसके लिए आपके जिले में पदस्थ उप संचालक शिक्षा/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण मदद करेंगे। आवंटन का आधार प्रत्येक शाला में दर्ज संख्या के मान से 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रतिदिन होगा। इस योजना के लिए वर्ष में 200 स्कूल दिवस माने जायेंगे। इस तरह कलेक्टर द्वारा प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए वर्ष 95–96 में प्रतिमाह खाद्यान्न की मात्रा अधिकतम सीमा तक दी जावेगी।

पंचायत / नगरीय निकाय हेतु निर्धारण

4.3.1 शालावार आवंटन निर्धारित करने के पश्चात इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक पंचायत में जितनी प्राथमिक शिक्षण संस्थायें आती हैं उन सबका पृथक--पृथक आवंटन जोड़कर पंचायत का आवंटन निश्चित किया जाए। तत्पश्चात् प्रत्येक पंचायत को उसी उचित मूल्य दुकान से संबद्ध किया जाए जिससे उस पंचायत के नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त होता है। अगर एक पंचायत क्षेत्र के ग्राम एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध हो तो कलेक्टर किसी एक दुकान को इसके लिए चिन्हित (Earmark) करेंगे।

4.3.2 नगरीय क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार उन दुकानों की संख्या तय जावेगी जहां से इस कार्यक्रम हेतु उठाव किया जावेगा। इन दुकानों से संबद्ध वार्डों में स्थित स्कूलों के लिए नगरीय निकाय खाद्यान्न उसी प्रकार उठायेंगे जैसा कि ऊपर पंचायतों के लिए वर्णित है। परन्तु जिन नगरों में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र हैं, नगरीय निकाय उन प्रदाय केन्द्रों से सीधे ही खाद्यान्न उठायेंगे।

परिवहन इत्यादि के लिए मार्जिन

4.4.1 भारत शासन द्वारा खाद्यान्न का आवंटन भारतीय खाद्य निगम के "बेस डिपो" से उपलब्ध कराया जायेगा। "बेस डिपो" से प्रदाय केन्द्र तक परिवहन कार्य मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा। इस परिवहन कार्य के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से नागरिक आपूर्ति निगम को रुपये 25/- प्रति क्विंटल की दर से राशि देय होगी, जो भारत शासन द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायी जावेगी।

4.4.2 नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाने वाली उक्त राशि में से रुपये 20/– प्रति क्विंटल का भुगतान उनके द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उठाये गए कुल खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर तत्काल कर दिया जावेगा। शेष रुपये 5/– प्रति क्विंटल का भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा पंचायतों/नगरीय निकायों से सहकारी समितियों के माध्यम अथवा नगरीय निकाय से सीधे प्राप्त रसीदों के डी.आर.डी.ए. में प्रस्तुत किए जाने पर किया जावेगा।

4.4.3 खाद्य विभाग इस राशि के अतिरिक्त उठाये गए खाद्यान्न पर डी.आर.डी.ए. को रुपये 20/– प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त मार्जिन उपलब्ध करायेगा। डी.आर.डी.ए. नागरिक आपूर्ति निगम को इस रुपये 20/– प्रति क्विंटल को उसी तरह उपलब्ध करायेगा, जिस तरह ऊपर कंडिका 4.4.2 में प्राप्त रुपये 25/– मे से रुपये 20/– को उपलब्ध कराया जाना है। अर्थात कुल रुपये 45/– में से 40/– तत्काल एवं रुपये 5/– रसीदों के प्राप्त होने पर डी.आर.डी.ए. द्वारा निर्गमित किए जावेंगे।

4.4.4 नगरीय निकाय यदि नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से सीधे खाद्यान्न उठाती है (जैसा कि ऊपर 4.3.2 में वर्णित है) तब डी.आर.डी.ए. द्वारा केवल रुपये 25/– ही नागरिक आपूर्ति निगम को निर्गमित किए जावेंगे

...........निरन्तर

4.4.5 नागरिक आपूर्ति निगम एवं लीड और लिंक समितियों के बीच रुपये 45/– का विभाजन निम्नानुसार होगा :

आपूर्ति निगम	रुपये	22/–	
लीड समिति	रुपये	15/–	
लिंक समिति	रुपये	7/–	(एवं बारदाना)
डी.आर.डी.ए. का सेवा शुल्क	रुपये	1/–	
कुल	रूपये	45/–	

4.4.6 कंडिका 4.4.4 में दर्शाये अनुसार यदि नगरीय निकाय द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से सीधे खाद्यान्न उठाया जाता है तो रुपये 25/– में से रुपये 1/– सेवा शुल्क डी.आर.डी.ए. को दिया जायेगा तथा शेष नागरिक आपूर्ति निगम के पास रहेगा।

4.5 **शाला तक परिवहन**

आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से "लीड सोसायटी" खाद्यान्न का परिवहन कर उसे उचित मूल्य दुकान तक ले जायेगी जैसा वह वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत करती है। उचित मूल्य की दुकान से शालाओं तक परिवहन का कार्य पंचायत द्वारा एवं ऐसे नगरीय निकायों में जिन में आपूर्ति निगम का प्रदाय केन्द्र नहीं है, नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय खाद्यान्न का बोरा सोसायटी को लौटायेंगे या उसका मूल्य सोसायटी को खाद्य विभाग द्वारा निश्चित की गयी दरों पर देंगे।

5. खाद्यान्न का उठाव

5.1 शासन ने यह निर्णय लिया है कि समस्त 297 लक्ष्य विकास खण्डों में 2 अक्टूबर, 95 से "गर्म भोजन" देकर मध्यान्ह कार्यक्रम लागू किया जायेगा। भोजन की तैयारी का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा तथा नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

शाला स्तर पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

5.2.1 इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय की शिक्षा समिति की होगी।

5.2.2 ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पंचायत के क्षेत्र के समस्त प्राथमिक शालाओं के लिए ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति उचित मूल्य दुकान से प्रतिमाह निर्धारित खाद्यान्न का उठाव करेगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी शिक्षा समिति के पदाधिकारी को सामान्यतः अधिकृत किया जावेगा। नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय की शिक्षा समिति यह कार्य करेगी। नगरीय निकाय द्वारा इस हेतु शिक्षा समिति के अध्यक्ष को सामान्यतः अधिकृत किया जावेगा।

5.2.3 कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय की प्राथमिक शालाओं के लिए तय की गयी खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर शिक्षा समिति के अध्यक्षों को आवंटन उपलब्ध कराया जावेगा।

5.3 खाद्यान्न आवंटन एवं उठाव प्रक्रिया

कलेक्टर द्वारा शिक्षा समिति को उपलब्ध कराए जाने वाले आवंटन निम्नानुसार दिए जावेंगे।

............निरन्तर

5.3.1 प्रतिमाह के आवंटन के आधार तीन महीनों के लिए एक त्रैमासिक आवंटन पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जावेगा, जिसे पंचायत/नगरीय निकाय के रिकार्ड में रखा जावेगा। यह आवंटन पत्र ब्लाकवार जारी किया जाएगा। इसे त्रैमास के प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व जारी किया जाए। छपाई के समय ध्यान दें कि परिशिष्ट के पीछे दिए अनुदेश भी छापे जावें।

(परिशिष्ट-2)

5.3.2 उपरोक्त आवंटन पत्र के साथ तीन माहों के लिए अलग–अलग "मासिक खाद्यान्न उठाव अधिकार पत्र" दिया जावेगा। मासिक खाद्यान्न उठाव अधिकार पत्रों के आधार पर ग्राम पंचायतें/नगरीय निकाय उनके लिए निर्धारित उचित मूल्य की दुकान/नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से खाद्यान्न उठा सकेंगी। छपाई के समय ध्यान दें कि परिशिष्ट के पीछे दिए अनुदेश भी छापे जावें।

(परिशिष्ट-3) 6.

5.3.3 उचित मूल्य की दुकान/प्रदाय केन्द्र इन मासिक खाद्यान्न उठाव अधिकार पत्रों पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर, खाद्यान्न प्राप्ति के ऐवज में प्राप्त करेगी और उन्हें अपने रिकार्ड में रखेंगी।

5.3.4 मासिक खाद्यान्न उठाव अधिकार पत्रों के निचले भाग में एक रसीद होगी, जो पत्र का भाग होते हुए उससे परफोरटड अवस्था में संलग्न होगी। इस रसीद पर दुकान प्रबन्धक द्वारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावेंगे और वह स्वयं भी उस पर हस्ताक्षर करेगा।

5.3.5 इन रसीदों को लिंक समिति द्वारा लीड समिति के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम को पहुंचाया जावेगा। नागरिक आपूर्ति निगम इन रसीदों को डी.आर.डी.ए. में जमा कर परिवहन व्यय हेतु निर्धारित राशि में से बचे रुपये 5/– प्रति क्विंटल प्राप्त करेगा। व्यवहारिकता के लिए आवश्यक हो तो इस प्रक्रिया में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से भी इन रसीदों को सोसाइटियों से एकत्रित किया जा सकता है।

5.3.6 कलेक्टर शासकीय प्रेस से खाद्यान्न आवंटन के लिए मासिक खाद्यान्न उठाव अधिकार पत्र की किताबें छपवायेंगे। इन सभी किताबों एवं उनके पृष्ठों को अनुक्रम में अंकित (serially numbered) किया जावेगा। पृष्ठ के दोनों भाग अर्थात 'उठाव अधिकार पत्र' एवं रसीद में एक ही सीरियल नम्बर डलेगा।

5.3.7 राजस्व विभाग नियंत्रक, शासकीय प्रेस को कलेक्टरों से प्राप्त सभी छपाई आवश्यकताओं की तत्काल भरपाई करने के निर्देश जारी करेगा।

5.3.8 ऐसी छपाई गयी किताबों का पूर्ण लेखा–जोखा डी.आर.डी.ए. में संधारित किया जावेगा। इसके लिए अलग से रजिस्टर रखे जावेंगे।

5.3.9. कार्य को आसान बनाने के लिए एक बार में तीन माह के लिए आवंटन पत्र जारी किए जा सकेंगे जिनका इन्द्राज संलग्न प्रपत्र में पंजी में रखा जाएगा। बाद में रसीदों के लौटने पर इस पंजी में किए इन्द्राज से इनका मिलान (reconciliation) किया जायेगा।

(परिशिष्ट - 4)

5.3.10 इन उठाव अधिकार पत्रों को पंचायतों/नगरीय निकायों को ब्लाक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा जावेगा, जो आगे वर्णित अन्य कार्यों के लिए रुपये 0.75 पैसे प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन के हिसाब से ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को धनराशि उपलब्ध करायेंगे।

5.3.11 हर तिमाही के बार शालावार खाद्यान्न की आवश्यकता का विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर पुनः मूल्यांकन कर उसमें परिवर्तन किया जायेगा। इस तरह खाद्यान्न एवं बच्चों की वास्तविक उपस्थिति के बीच मेल रखने में सुविधा होगी।

..........निरन्तर

5.3.12 प्रथम तिमाही का आवंटन जारी करते समय कलेक्टर 5 प्रतिशत अधिक आवंटन उपलब्ध करायेंगे। अर्थात यदि किस ग्राम पंचायत को उपरोक्त गणना अनुसार 2.50 क्विंटल प्रतिमाह खाद्यान्न देना है तो उसे 3 माह के लिए 5 प्रतिशत अधिक यानि 37.50 किलो अधिक खाद्यान्न दिया जायेगा। इस को अगले 10 किलो तक राउंड ऑफ (Round off) किया जायेगा। नगरीय निकाय जो सीधे आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से उठाव करेंगी, के लिए इस प्रकार की Rounding off अगले उच्च क्विंटल तक की जावेगी। ऐसा करने से पंचायतों/नगरीय निकायों को आवश्यकता से कुछ अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होगी जो कि केरीओवर हो सकती है। इससे प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने में सुविधा होगी। इसी प्रकार दिया गया अधिक खाद्यान्न अगली तिमाही में समायोजित किया जायेगा।

6. मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था

6.1 समस्त क्षेत्रों में 'गर्म भोजन' की व्यवस्था स्कूल के परिसर में ही की जायेगी एवं बच्चों को खाने का भोजन स्कूल में ही परोसा जायेगा।

6.2 स्थानीय स्तर पर शिक्षा समिति द्वारा परोसे जाने वाले भोजन का स्वरूप निर्धारित किया जावेगा। जिन जिलों में गेहू दिया जा रहा है वहां दलिया बनाकरं तेल/गुड़ एवं आयोडीन युक्त नमक के साथ मिलाकर बच्चों को भोजन के रूप में दिया जा सकता है। जिन जिलों में चावल प्रदाय किया जायेगा वहां तेल एवं दाल सहित खिचड़ी अथवा दाल–चावल की व्यवस्था की जा सकती है।

6.3.1 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिये शासन ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों को प्रति छात्र के मान से प्रतिदिन 75 पैसे की सहायता खाद्यान्न के अतिरिक्त दी जावेगी। इस राशि के खर्च का पूर्ण ब्यौरा उन्हें रखना होगा। इस प्रकार किये गये व्यय का ब्यौरा ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय की नियमित बैठक में प्रत्येक माह रखा जावेगा। 174 आदिवासी विकास खण्डों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एवं शेष 123 विकास खण्डों में शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जावेगी। इसके लिये पृथक से बजट में प्रावधान किया जा रहा है। यह अतिरिक्त राशि गुड़/नमक/तेल/दाल/ईधन/परिवहन इत्यादि के लिये होगी। परन्तु परिवहन पर इसमें से अधिकतम रुपये 5/– प्रति क्विंटल ही खर्च किये जा सकेंगे।

6.3.2 इस धनराशि का वितरण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह आवंटन पंचायत/नगरीय निकाय को प्रति तीन माह के लिये उन्हें दिये जा रहे खाद्यान्न के अनुरूप सौंपेंगे।

6.3.3. प्रत्येक पंचायत/नगरीय निकाय उनको उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न एवं राशि का लेखा छात्रों की उपस्थिति के ब्यौरे सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को संलग्न प्रारूप अनुसार प्रति माह उपलब्ध करायेगी जो इसका सत्यापन करेंगे। इस परिशिष्ट के पीछे छपे अनुदेशों का प्रपत्र छापते समय कृपया पीछे छापें।

(परिशिष्ट-5)

6.3.4 भोजन खाने के लिये प्लेट/दोना–पत्तल/थाली आदि की व्यवस्था बच्चों के पालकों द्वारा की जायेगी। यथासंभव बच्चे प्रतिदिन अपने खाने का पात्र साथ लेकर स्कूल आयेंगे।

6.3.5 योजना को प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता होने पर प्रति शाला के लिए केवल एक बार रुपये 800/– तक के खाना तैयार करने के बर्तन पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच 80 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना राशि से खर्च कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में यह व्यय नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत किया जावेगा। जिन नगरों में यह योजना नहीं है वहां नगरीय निकाय बर्तनों की व्यवस्था अपने स्त्रोतों से करेगी।

...........निरन्तर

7. आश्रम स्कूलों की व्यवस्था

अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम स्कूलों में 'मध्यान्ह भोजन' की व्यवस्था उसी तरह की जावेगी जिस तरह इस योजना के अंतर्गत अन्य स्कूलों में की जा रही है। आश्रम स्कूलों में प्रातः एवं रात के भोजन की प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अपनी ओर से पूर्व अनुसार अलग से आयोजित की जावेगी।

8. पर्यवेक्षण एवं समीक्षा

8.1 राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस योजना के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य रहेंगे –

1. प्रमुख सचिव/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण/स्थानीय शासन।
2. सचिव/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण/स्थानीय शासन/स्कूल शिक्षा/खाद्य विभाग/सहकारिता विभाग।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास।
4. आयुक्त/पंजीयक सहकारी संस्थायें।
5. प्रबन्ध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण।

8.2 जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति रहेगी --

1.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	कलेक्टर	सदस्य सचिव
3.	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
4.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित अधिकतम चार विधायक गण	सदस्य
5.	जिले की जनपद पंचायतों के एक बार में अधिकतम चार अध्यक्ष (जिनको हिंदी वर्णमाला क्रम में समस्त जनपद पंचायतों के नाम की सूची बनाकर ऊपर से एक एक वर्ष के लिए प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित किया जावेगा)	सदस्य
6.	जिले की ऐसे नगर निगमों के महापौर जहां पर योजना चलित है।	सदस्य

...........निरन्तर

7.	जिले की ऐसी नगर पालिकाओं में से जहां यह योजना चलित है एक नगरपालिका के अध्यक्ष जिन्हें ऐसी निकायों की हिन्दी वर्णमाला क्रम में सूची बनाकर बारी–बारी से एक वर्ष के लिए प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित किया जायेगा।	सदस्य
8.	उप पंजीयक, सहकारिता	सदस्य
9.	उप संचालक, शिक्षा	सदस्य
10.	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण	सदस्य
11.	जिला प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम	सदस्य
12.	परियोजना अधिकारी, जि.ग्रा.वि.अ.	सदस्य
13.	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य

इस समितिं की बैठक प्रत्येक माह में एक बार या आवश्यकतानुसार कम अंतराल में होगी।

9. उपरोक्त निर्देश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को सभी प्राथमिक शालाओं में सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जारी किए जा रहे हैं। सभी संबंधित प्रशासनिक विभाग इन निर्देशों के अन्तर्गत उनको सौंपे उत्तर दायित्व का निर्वहन करेंगे और आवश्यकतानुसार इन निर्देशों के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने हेतु कार्यवाही करेंगे तथा अनुपूरक निर्देश जारी कर सकेंगे। मैदानी स्तर पर कलेक्टर समस्त आवश्यक कार्यवाही तत्काल करेंगे जिससे शासन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सके।

(एन.एस. सेठी)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

पृ. क्र. 17803/22/वि–7/जरोयो/95 — भोपाल दिनांक 19 सितम्बर, 95

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव/वित्त/आदिम जाति कल्याण/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/स्थानीय शासन/राजस्व।
2. सचिव/आदिम जाति कल्याण/खाद्य/सहकारिता/स्कूल शिक्षा/राजस्व।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त)
4. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।
5. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश।
6. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास/आयुक्त लोक शिक्षण।
8. संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति।
9. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।

(आर. परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

...........निरन्तर

मध्य प्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 1251/ /22/वि-7/पभोका/98 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 98

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
   म0प्र0
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जिला पंचायत
   म0प्र0

विषय : शिक्षा गारंटी योजना के तहत संचालित केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था.

दिनांक 6-1-98 को मध्यान्ह भोजन की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जहां शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, उन केन्द्रों पर भी मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की जावे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने जिले में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जिस तरह स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई है, उसी तरह की व्यवस्था शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित केन्द्रों पर भी की जावे । कृपया इस संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही की सूचना मुझे भेजें ।

(बादल के. दास)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (म0प्र0)

पृ0क्र0/ 756 /म0भो0का0/98 राजनांदगांव, दिनांक 5/2/98

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजनांदगांव/डोंगरगांव/छुरिया/चौकी/मोहला/मानपुर/डोंगरगढ़/खैरागढ़/छुईखदान/कवर्धा/स0लोहारा एवं बोड़ला जिला राजनांदगांव.
2. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव/डोंगरगांव/छुरिया/चौकी/मोहला/मानपुर/डोंगरगढ़/खैरागढ़/छुईखदान/स0लोहारा/कवर्धा एवं बोड़ला जिला राजनांदगांव
3. उप संचालक लोक शिक्षण, शिक्षा जिला - राजनांदगांव/कवर्धा.
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास परियोजना, राजनांदगांव.

कृपया उपरोक्त शासन के निर्देशानुसार शिक्षा गारंटी योजना के तहत संचालित केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था कर इस कार्यालय को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव.

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3586 /22/वि-7/मभोका/98 भोपाल दिनांक 10 मार्च,98

प्रति,

1· कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

2· मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश शासन

विषयः- जिले में मदरसों/मकतबों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था ।
संदर्भः 1· विभाग का पत्र क्रमांक 1251/22/वि-7/मभोका/98 दिनांक 27·1·98
2· स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र· एफ 44/20-2/95 दिनांक 30·12·97

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए । विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक एक द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि शिक्षा गारंटी योजनान्तर्गत संचालित पाठशालाओं में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की जावे । पत्र संदर्भ क्रमांक दो के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए कि प्रदेश के शासन सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न/पका भोजन उपलब्ध कराया जाए ।

2· मदरसों/मकतबों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत सत्र 1998-99 से लाभान्वित किया जाये ।

(आर· परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव
==========================

पृ०क्र०/ 1932 /एमडीएम/98 राजनांदगांव, दिनांक 27/3/98
प्रतिलिपिः-
(1) विकास खंड शिक्षा अधिकारी, (सर्व)- - - - - - - - -जिला-राज० शासन के उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को 3 दिवस के भीतर अवगत करावें ।
(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्व - - - - - - - - - - - -
(3) उप संचालक, लोक शिक्षण , शिक्षा जिला - राजनांदगांव/कवर्धा.
(4) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव ।
को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव.

सभी को पृ· प्रतिलिपी भेजें
MDM / शाखा
CEO 17/3
प्राप्त किया 3-4-98.
कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) 27-3-98 3·50 बजे राजनांदगांव (म· प्र·)

कार्यालय कलेक्टर
CEO/ZP (DRDA)
- 7 OCT 1999
राजनांदगांव (म० प्र०)

MDM

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004.

क्रमांक- एफ 44-24/95/20-2, भोपाल, दिनांक- / -

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) राजनांदगांव (म० प्र०)

6323
13-10-99

प्रति,

1- प्रमुख सचिव,
म. प्र. शासन,
ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय ।

2- संचालक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
म. प्र., विंध्याचल भवन,
भोपाल ।

विषय:- मदरसों मकतबों में पढ़ने वाले बच्चोंको मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ देने बाबद ।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक- 30-12-97.

====

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके अनुसार समस्त मदरसों/मकतबों में जो भारत सरकार से सहायता प्राप्त हैं तथा जो प्राथमिक शाला के स्तर के हैं, में पढ़ने वाले बच्चों को भी मध्यान्ह भोजन योजना योजना का लाभ दिया जाना है । इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक- 11-12-97 को निर्देश जारी किये गये हैं ।

2- इस वर्ष भारत शासन से 106 मदरसों को सहायता प्राप्त हो चुकी है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ दिया जाना है ।

3- कृपया तत्संबंध में निर्देश तत्काल दिये जाने का कष्ट करें ।

(हस्ताक्षर) 1/10/99
(व्ही. एस. शालवार)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. एफ 44-24/95/20-2, भोपाल, दिनांक- 1-10-99

प्रतिलिपि:-

1- आयुक्त, लोक शिक्षण, म. प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए निवेदन है कि उक्त मदरसों की सूची समस्त कलेक्टर्स को भेजें ।

2- समस्त कलेक्टर, जिला----------------, म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

--: कार्यालय :--
जिला पंचायत (...)
राजनांदगांव (म० प्र०)

पृ. क्रमांक/5970/म.भो.यो./99 राजनांदगांव दिनांक 13-10-99

प्रतिलिपि:-
1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजनांदगांव/कवर्धा
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव
3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड
को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
Accounts Officer,
For, Chief Executive Officer
Jila Panchayat, R.jnandgaon (M. P.)

13

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

क्रमांक/एम·डी·एम· /944 /2005/ रायपुर, दिनांक- 29/1/95

कार्यालय कलेक्टर
राजनांदगांव (छ.ग.)
शाखा
04 FEB 2005
अधीक्षक

5 FEB 2005
राजनांदगांव (छ. ग.)

कलेक्टर,

जिला – राजनांदगांव (छ०ग०)

विषय:- विभागीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन के संबंध में ।

संदर्भ:- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक- 29·12·2004

COLLECTOR,
RAJNANDGAON (C.G.)

---xx---

कृपया संदर्भित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे -

1:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को न्यूनतम 300 कैलोरी एवं 8-12-ग्राम प्रोटीनयुक्त गरम भोजन प्रदान किया जाना आवश्यक है । अत: छात्रों को नियमित रूप से प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत चॉवल, दाल एवं सब्जी निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराई जावें ।

मध्यान्ह भोजन हेतु साप्ताहिक मीनू (पाक-सामग्री) दिवसवार तैयार कर शाला में प्रदर्शित की जावे एवं तद्नुरूप भोजन तैयार किया जावे एवं विविधता/रोचकता लाई जा सकें । इस हेतु स्थानीय समुदाय का परामर्श भी लिया जा सकता है ।

2:- जिन विभागीय संस्थाओं के परिसर में अथवा 50 मीटर की परिधि में पेयजल की व्यवस्था नहीं है । ऐसे प्राथमिक शालाओं की सूची संलग्न प्रपत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उपलब्ध कराते हुये एक प्रति में इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें ताकि शालाओं में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें । जिला स्तर में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी पेयजल की व्यवस्था हेतु निर्देशित करें।

3:- विभागीय प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभ से ही गर्म भोजन प्रदाय किया जा रहा है । अत: खाना पकाने के बर्तनों की टूटफूट होना स्वाभाविक है । अतएव ऐसी प्राथमिक शालाओं का संस्थावार आंकलन (संलग्न प्रपत्र में) कर लेवें, जहाँ भोजन पकाने के बर्तनों की आवश्यकता है इन संस्थाओं को भारत शासन द्वारा जारी पुनरीक्षित मार्गदर्शिका में दिये निर्देशों अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रति शाला वार्षिक अनुदान रु· 2000=00 की राशि में से बर्तनों का क्रय सुनिश्चित करें । इस हेतु पृथक से निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जा रहे हैं ।

भोजन पकाने के बर्तनों को प्राथमिकता देते हुये जिन शालाओं में ~~xx~~ खाने के बर्तन उपलब्ध नहीं है उनका आकलन कर खाने के बर्तनों की व्यवस्था भी इसी राशि से की जावें ।

4:- विभागीय प्राथमिक शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर ऐसे विद्यार्थियों (बालक/बालिकाओं) की पहचान की जावे जिनमें विटामिन "ए" एवं "आयरन" की कमी है । ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन्हें विटामिन "ए" तथा "आयरन टेबलेट" की खुराक स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत दिया जावें ।

5:- जिन विभागीय शालाओं में पक्के किचन शेड के निर्माण की आवश्यकता है उनकी शालावार सूची संलग्न प्रपत्र-5 में इस कार्यालय को उपलब्ध करावें । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा हेतु उपाय सुनिश्चित करें, इस हेतु यह उपयुक्त होगा कि शाला भवन के अंदर भोजन न पकाया जावे साथ ही एम.डी.एम. अंतर्गत अनाज के भंडारण तथा भोजन पकाने व खिलाने के दौरान स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जावें ।

6:- इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा जिला स्तर पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के निगरानी के लिए एक निगरानी सेल का उल्लेख किया गया था अतः उपयुक्त होगा कि जिला स्तर पर एक निरीक्षण सेल का गठन कर उन्हें निरीक्षण हेतु विकास खण्ड आवंटित कर दिया जावे ताकि प्रत्येक शाला का माह में एक बार निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जा सकें ।

क्रमशः-

// 3 //

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी तथा मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायें ।

सही/-

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

रायपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0/एम.डी.एम./ 945 /2005 / रायपुर, दिनांक :-29.1.05

प्रतिलिपि :-

1:- सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग, रायपुर (छ0ग0).

2:- सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर (छ0ग0).

3:- सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग, रायपुर (छ0ग0).

4:- सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग, जिला------छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सही/-

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

रायपुर (छ0ग0)

// श्रीमती तोमी //

// 19012005 //

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एम.डी.एम./95/29336 भोपाल, दिनांक 23/9/95

प्रति,

प्राथमिकता
समय - सीमा

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

2. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

3. जिला संयोजक (समस्त)
आदिमजाति कल्याण,
मध्यप्रदेश.

विषय:- विभागीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने के संबंध में निर्देश.

=-=

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक 17802/22/व्ही-7/ज.रो.यो./95, दिनांक 19 सितंबर 1995 के द्वारा रोजगार आश्वासन योजनान्तर्गत 297 विकास खण्डों में प्राथमिक शालाओं के लिये "मध्यान्ह भोजन" कार्यक्रम योजना के बारे में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इन निर्देशों में 174 आदिवासी विकास खण्डों के लिये आदिवासी विभाग के द्वारा 75 पैसे प्रति हितग्राही प्रति दिन का वित्तीय प्रावधान समस्त कलेक्टरों को पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ज्ञापन के द्वारा प्रसारित पुस्तिका की प्रतिलिपि सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजकों को अवलोकनार्थ संलग्न है।

तद् निर्देशों के अनुसार 174 आदिवासी विकास खण्डों में संचालित समस्त प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वालेबच्चों, कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों के लिये गरमभोजन दिये जानेकी व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई है। तथा इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 95 से अनिवार्यत: लागू किया गया है।

..2/

इस विभाग के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक योजना के स्वरूप एवं उसके क्रियान्वयन के मुख्य बिंदु आदि का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन कर लें ताकि विभाग के मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने की योजना के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम उनके स्तर पर उत्पन्न न हो ।

विभाग द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन के लिये पूर्व प्रसारित निर्देश ज्ञापन क्रमांक/एम.डी.एम./95/18361., दिनांक 9.6.1995 के परिपेक्ष्य में विभाग का अब लक्ष्य क्षेत्र निम्नानुसार होगा :-

1. 174 आदिवासी विकास खंड की माध्यमिक शालाओं में 10 से 14 वर्ष आयु के विद्यार्थी होंगे जो कक्षा 6 वीं से 8 वीं में पढ़ते हों, और विभाग के द्वारा संचालित माध्यमिक स्तर आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास के छात्रावासी हों; के लिए मध्यान्ह भोजन पोषण आहार के रूप में पूर्व निर्देशानुसार प्रतिदिन वितरण किया जायेगा । विभाग के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर के कक्षा 6 वीं से 8 वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मध्यान्ह भोजन पका हुआ वितरण किया जायेगा ।

2. शेष 123 रोजगार आश्वास सामुदायिक विकास खण्डों में एवं सामान्य 262 सामुदायिक विकास खण्डों में आदिमजाति, अनुसूचितजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निम्नानुसार श्रेणी की संस्थाओं में विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम यथावत संचालित किया जाता रहेगा :-

(अ-1) 123 रोजगार आश्वासन सामुदायिक विकास खण्डों के विभागीय माध्यमिक स्तर के छात्रावास एवं आश्रम तथा सामुदायिक कल्याण केन्द्र में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे ।

(अ-11) 262 सामुदायिक विकास खंड के प्राथमिक स्तर, आश्रम तथा छात्रावास , सामुदायिक कल्याण केन्द्र में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे ।

(ब) प्री मैट्रिक छात्रावास का अर्थ कक्षा 6 वीं से 8 वीं है इस श्रेणी में उ.मा. विद्यालय से संबद्ध प्री मैट्रिक छात्रावास तथा आदर्श उ.मा.वि. एवं कन्या शिक्षा परिसर के प्री मैट्रिक छात्रावास सम्मिलित माने जायेंगे ।

..3/

3. जिला स्तर पर 174 आदिवासी विकास खंड के संदर्भ में प्रत्येक विकास खंड शिक्षा अधिकारीउनके क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रम में नियमित रूप से पका हुआ मध्यान्ह भोजन वितरण कराने के लिए उत्तरदायी होगें । इस योजना के क्रियान्वयन करने के लिए किन्हीं दो छात्रावासों को वितरण केन्द्र बनाकर शेष प्रीमैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों को पोषक केन्द्र के समूहों में संबद्ध करने की कार्यवाही की जाये और इसका अनुमोदन जिला कलेक्टर से प्राप्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत संचालित उल्लेखित प्रकार की संस्थाओं में लगने वाले खाद्यान्न का निर्धारण किया जायेगा तथा अन्य व्यय के लिए आवंटन इस विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले आवंटन का पुर्नावंटन किया जायेगा । विभागीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन के संबंध में जिला कलेक्टर का पूर्ण पर्यवेक्षण होगा । इस कार्य में विभाग के सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक/जिला कलेक्टर की सहायता करेंगे । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के विधिवत संचालन की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर निरीक्षण का रोस्टर जारी करेंगे । जिला के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक मध्यान्ह भोजन संचालन की सतत निगरानी रखेंगे और समय परमासिक प्रतिवेदन आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय तथा क्षेत्रीय अपर आयुक्त, आदिवासी विकास प्राधिकरण को भेजेंगे ।

4. सामुदायिक विकास खण्डों में संचालित प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रमों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नियंत्रण जिला के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के द्वारा सीधे तौर पर किया जायेगा । वे प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रमों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के नियमित संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे । मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से आयुक्त, आदिवासी विकास, को भेजेंगे तथा उसकी प्रति संचालक अनुसूचित जाति विकास तथा संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे :-

4.1 <u>मासिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा</u>

174 आदिवासी विकास खण्डों में इसकी समीक्षा आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रति माह की जावेगी ।

4.2 प्रत्येक छात्रावास/आश्रम में प्रारूप एक में एक पंजी संधारित की जावेगी, जिसमें प्रत्येक कार्यदिवस के संबंध में प्रतिष्टि की जावेगी । इस पंजी का निरीक्षण व सत्यापन समय-समय पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाकर — — टीप दी जावेगी ।

-- 7 --

4.3 प्रत्येक माह की पांच तारीख तक प्रारूप (तीन) में मासिक प्रतिवेदन छात्रावास/आश्रम अधीक्षक द्वारा केन्द्र छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को पहुंचा जाना चाहिये । विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इस जानकारी को संकलित कर प्रारूप (चार) में जिला के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को भेजेंगें । प्रारूप (चार) मेंजानकारी दस तारीख तक सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को पहुंच जाना चाहिये । सहायक आयुक्त/जिला संयोजक उक्त जानकारी को प्रारूप (पांच) में संकलित कर कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे एवं कलेक्टर की टीप सहित उसे 15 तारीख तक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजेगें एवं उसकी एक प्रति संबंधित संचालक, अनुसूचितजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा संभागीय उप-आयुक्त को भी भेजेगें । चूँकि शासन स्तर से भी जानकारी समय सीमा में जाना है अस्तु सावधानी का विशेष ध्यान रखा जावे ।

4.4 1.10.95 की स्थिति में दर्ज छात्र/छात्राओं की छात्रावास/आश्रम वार जानकारी प्रारूप (दो) में एकत्रितकर उसकी जिलावार जानकारी प्रारूप (छ:) में सहायक आयुक्त/जिला संयोजकअनिवार्य रूप से बीस अक्टूबर तक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजें । भविष्य में यह जानकारी 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर की स्थिति में भेजी जाया करें ।

4.5. केन्द्र छात्रावास एवं पोषक छात्रावास/आश्रम में दिये खाद्यान्न प्राप्त एवं उपयुक्त खाद्यान्न के विवरण व समीक्षा के लिये विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी स्तर पर एक पंजी प्रारूप (सात) में रखी जावे और समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जावे ।

4.6 योजना से संबंधित कोई भी जानकारी /पत्र उप-आयुक्त, मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन द्वितीय मंजिल भोपाल के पदनाम से भेजी जावे ।

5. विभागीय माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिये प्रति हितग्राही प्रति दिन जो पूर्व में ... महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू की गई दरें ही फिलहाल अपनाया जावे । [illegible]

(एच. सिंह)
आयुक्त,
आदिवासी विकास, म०प्र०

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/२३४६/४/२२/वि-७/एन०डी०एम०/९७ भोपाल, दिनांक २/८/९७

प्रति,

१. कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

२. कार्यपालक निदेशक (समस्त)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- प्राथमिक शालाओं के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए योजना-पका भोजन १७४ आदिवासी विकास खंडों में दिये जाने बाबत् ।

संदर्भः- विभाग के ज्ञाप क्रमांक-
१. १७८०२/२२/वि-७/जरोयो/एम०डी०एम०/९५, भोपाल, दिनांक १९-९-९५
२. १२५०९/२२/वि-७/जरोयो/एम०डी०एम०/९६ भोपाल दिनांक २-८-९६ ।

कृपया ज्ञापन दिनांक १९-९-९५ का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रदेश के २९७ विकास खंडों में गरम भोजन (पका भोजन) दिये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

२/ शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि १-९-९७ से प्रदेश में केवल १७४ आदिवासी विकास खंडों में ही आगामी आदेशों तक पका भोजन छात्रों को दिया जायेगा । (सूची संलग्न है परिशिष्ट-एक)

३/ शेष (४५९-१७४) २८५ विकास खंडों में जहाँ पूर्व से ही कच्चा खाद्यान्न अथवा पका हुआ भोजन वितरण किया जा रहा था, अब छात्रों को पका हुआ भोजन न दिया जाकर केवल खाद्यान्न वितरण ही किया जायेगा ।

४/ स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह उन २९७ विकास खंडों में जिनमें पका भोजन उपलब्ध कराया जाता था, में से १२३ सामुदायिक विकास खंडों में अब खाद्यान्न ही उपलब्ध कराया जायेगा । यह व्यवस्था १-९-९७ से ही लागू की जायेगी ।

५/ खाद्यान्न वितरण के लिए विस्तृत निर्देश विभाग के ज्ञापन क्रमांक १२५०९/२२/वि-७/जरोयो/९६ भोपाल, दिनांक २-८-९६ के द्वारा जारी किये गये हैं, जिसके अनुरूप कार्यवाही की जाये ।

६/ पका हुआ भोजन हेतु ज्ञाप दिनांक १९-९-९५ एवं खाद्यान्न वितरण के लिए ज्ञाप दिनांक २-८-९६ में दिये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे ।

७/ विभाग के ज्ञाप क्रमांक ८६२६/एम-१७७/वि-७/२२/म.भो.का./ दिनांक ३-६-९७ के द्वारा आपको खाद्यान्न का आवंटन दिया गया है । उपरोक्त परिवर्तित व्यवस्था के अंतर्गत यदि आपको अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता हो तो विकास खंडवार अतिरिक्त खाद्यान्न का मांग पत्र तुरन्त भेजा जाये ।

संलग्नः- परिपत्र दि. २-८-९६ की १ प्रति
(आदेश क्रमांक २)
परिशिष्ट १(१७४) आदिवासी विकास खंडों की सूची

(आर० परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 2422 /22/वि-7/म.भो.का./98 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 98

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (एसएएस)
जिला पंचायत, म0प्र0 ।

विषय :- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत राशन कार्ड का निर्माण ।

दिनांक 6-1-98 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई कि जिन विकास खंडों में छात्रों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है वहाँ प्रत्येक छात्र को मध्यान्ह भोजन का राशन कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है । इस कारण मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है । अतः यह निर्देशित किया जा रहा है कि सभी जिलों में सभी छात्रों के तत्काल राशन कार्ड बनवाए जाना सुनिश्चित किया जावे । राशन कार्ड की छपाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा कराई जावेगी तथा इस पर जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संचालक, खाद्य द्वारा की जावेगी । अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल अभियान चलाकर छात्रों के राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था करें तथा माह जनवरी के अंत तक अनिवार्य रूप से कार्ड वितरित करवाकर मुझे सूचित करने का कष्ट करें ।

(बादल के. दास)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (म0प्र0)

पृ0क्र0/ 754 /म0भो0का0/98 राजनांदगांव, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि :-

(1) विकास खंड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव/डोंगरगांव/छुरिया/चौकी/मोहला/मानपुर/डोंगरगढ़/खैरागढ़/छुईखदान/स0लोहारा/कवर्धा एवं जिला राजनांदगांव.

2. उप संचालक लोक शिक्षण, शिक्षा जिला - राजनांदगांव/कवर्धा.

3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास परियोजना, राजनांदगांव.

कृपया शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को 7 दिवस के भीतर अवगत कराने की व्यवस्था करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव.

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 1251/ /22/वि-7/मभोका/98 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 98

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
   म0प्र0
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
   जिला पंचायत
   म0प्र0

विषय : शिक्षा गारंटी योजना के तहत संचालित केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था.

दिनांक 9-1-98 को मध्यान्ह भोजन की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जहां शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, उन केन्द्रों पर भी मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की जावे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने जिले में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जिस तरह स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई है, उसी तरह की व्यवस्था शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित केन्द्रों पर भी की जावे । कृपया इस संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही की सूचना मुझे भेजें ।

(बादल के. दास)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (म0प्र0)

पृ0क्र0/ /म0भो0का0/98 राजनांदगांव, दिनांक 5/2/98

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजनांदगांव/डोंगरगांव/छुरिया/चौकी/मोहला/मानपुर/डोंगरगढ़/खैरागढ़/छुईखदान/कवर्धा/स0लोहारा एवं बोड़ला जिला राजनांदगांव.
2. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव/डोंगरगांव/छुरिया/चौकी/मोहला/मानपुर/डोंगरगढ़/खैरागढ़/छुईखदान/स0लोहारा/कवर्धा एवं बोड़ला जिला राजनांदगांव
3. उप संचालक लोक शिक्षण, शिक्षा जिला - राजनांदगांव/कवर्धा.
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास परियोजना, राजनांदगांव.

कृपया उपरोक्त शासन के निर्देशानुसार शिक्षा गारंटी योजना के तहत संचालित केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था कर इस कार्यालय को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव.

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3586 /22/वि-7/ममोका/98 भोपाल दिनांक 10 मार्च,98

प्रति,

1· कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

2· मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश शासन

विषयः- जिले में मदरसों/मकतबों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था ।

संदर्भः 1· विभाग का पत्र क्रमांक 1251/22/वि-7/ममोका/98 दिनांक 27·1·98

2· स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र· एफ 44/20-2/95 दिनांक 30·12·97

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए । विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक एक द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि शिक्षा गारंटी योजनान्तर्गत संचालित पाठशालाओं में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था लागू की जावे । पत्र संदर्भ क्रमांक दो के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए कि प्रदेश के शासन सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न/पका भोजन उपलब्ध कराया जाए ।

2· मदरसों/मकतबों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत सत्र 1998-99 से लाभान्वित किया जाये ।

(आर· परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव

पृ०क्र०/ 1932 /एमडीएम/98 राजनांदगांव, दिनांक 27/3/98

प्रतिलिपिः-

(1) विकास खंड शिक्षा अधिकारी, (सर्व) - - - - - - - - - जिला-राज० शासन के उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को 3 दिवस के भीतर अवगत करावें ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्व - - - - - - - - - - - -

(3) उप संचालक, लोक शिक्षण , शिक्षा जिला - राजनांदगांव/कवर्धा.

(4) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव ।

की सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव.

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) 27-3-98 राजनांदगांव (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर
राजनांदगांव (छ. ग.)
शाखा ....
4 JUN 2002
प्रतीक्षक

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग,

छत्तीसगढ, रायपुर

क्रमांक/एम०डी०एम०/२००२/ 467 रायपुर दिनॉक 28/5/02

स्थायी - आदेश

प्रदेश में संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शालाओं में छात्रों की नियमित तथा अधिकांश उपस्थिति के लिए अत्यन्त प्रभावशाली योजना है । आदिवासी क्षेत्रों में संचालित योजना गरम मध्यान्ह भोजन प्रदाय के अच्छे परिणामों को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योजना के विस्तार के आदेश जारी किये है । विभाग के पास आदिवासी क्षेत्र की समस्त शासकीय व अनुदान प्राप्त अशासकीय प्राथमिक शाला कनिष्ठ प्राथमिक शाला, शिक्षा गारंटी केन्द्रों में योजना के संचालन का दायित्व है । अतः राज्य में योजना को और अधिक सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नानुसार विभागीय स्थायी आदेश जारी किये जाते है :-

(१) योजना के संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रति छात्र, प्रतिदिन (शाला - दिवस) १०० ग्राम खाद्यन्न का प्रदाय निःशुल्क किया जा रहा है । जिला पंचायत के द्वारा गत् वर्षों के उठाव के आधार पर जिले के विभिन्न वितरण केन्द्रों के लिए निगम एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस निरंतर प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं एवं पंचायत, जिला पंचायत के अधिकार पत्र के आधार पर खाद्यान्न उठाकर व्यय करती है । इस व्यवस्था में पाया गया है कि छात्रों की दर्ज संख्या उपस्थिति को देखते पंचायतों का लेम्प्स (सहकारी समितियों) से संबंधीकरण पुर्ननिर्धारण किया जावे ताकि सत्र भर सहकारी समितियों के पास पर्याप्त खाद्यान्न का भंडार रहे ।

यह कार्य जिला पंचायत के तत्वाधान में विभागीय जिला अधिकारी करेंगे इसके लिए वर्ष २००१ - २००२ की दर्ज संख्या को आधार मानकर गणना की जावे तथा पंचायतों का सहकारह सतितियों (उचित मूल्य की दुकानों) से संबंधी करण का पुर्ननिर्धारण किया जावे । यह कार्य ३१-०५-०२ तक पूर्ण करने हेतु करने के आदेश दिये जाते हैं ।

(२) शालाओं में गरम मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने हेतु विभाग द्वारा प्रति छात्र प्रति शाला दिवस रूपये ०·७५ प्रदान करने का प्रावधान है । इसके लिए विभागीय योजना में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाता है । योजना में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाता है । यह राशि खाद्यान्न को पकाने हेतु ईंधन, तेल, दाल, नमक मसाले आदि पर व्यय की जाती है । योजना का आबंटन विभाग द्वारा अनुदान के रूप में जिला पंचायत को दिया जा रहा है । योजना के नियमित संचालन हेतु आवश्यक है कि उक्त राशि समय पर पंचायतों को मिले इस हेतु विभागीय जिला अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करेगा एवं जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सहयोग से अनुदान राशि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करायेगा इस कार्य हेतु उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

(३) योजना में मध्यान्ह भोजन को पकाने हेतु आवश्यक मजदूर की व्यवस्था एवं मजदूरी भुगतान का कार्य स्थानीय निकायों को सौपा गया स्थनीय निकाय "मूलभूत सुविधा मद" से इसकी प्रतिपूर्ति कर रही है । तथा मजदूरी की गणना रोजगार हेतु मानव दिवस के रूप में की जा रही है । ग्रामीण विकास विभाग का

(आदिवासी विकास)
0 . JUN 2002

दायित्व होगा कि वे योजना में मजदूरी हेतु धन राशि का यथेष्ट प्रावधान करावे । "गरम - भोजन" प्र
में इस मद अन्तर्गत धन राशि के प्रावधान रखने का समान रूप से महत्व है । किसी भी स्थिति में मज
में धन राशि की कमी से योजना का संचालन प्रभावित होता है ।

भोजन पकाने के बर्तन की व्यवथा का दायित्व भी स्थानीय निकाय को योजना प्रावधान अनुसार करने हेतु सौंपा गया है ।

(४) योजना के संचालन का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है किन्तु विभाग द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही राशि का हिसाब प्राप्त करने एवं महालेखाकार को उसके समायोजन का प्रधान दायित्व विभाग का ही है । अतः विभागीय जिला अधिकारी का यह होगा कि वह जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन की सहायता से यह सुनिश्चित करावें कि योजना के निर्धारित दोनों प्रपत्रों में मासिक जानकारीयॉं गत माहों के शेष खाद्यान्न तथा धनराशि का हिसाब नियमित रूप से मिले । इसी के अनुरूप पंचायतें योजना के संचालन में आवश्यक पंजियों का संधारण करें। जिला पंचायतें विभागीय अनुदान की राशि के प्रयोग एवं खाद्यान्न के उठाव व उसके उपयोग के सम सामाजिक प्रतिवेदनों के प्रेषण हेतु एक ठोस व्यवसथा स्थानीय रूप से सुनिश्चित करेंगी ।

(५) विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य जिलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु कार्यक्रम निरीक्षकों की पदस्थापनाएं की है । इन निरीक्षकों से योजना के पर्यवेक्षण व मानिटरिंग का कार्य लेने का दायित्व विभागीय जिला अधिकारी का है । ये कार्यक्रम- निरीक्षक मध्यान्ह भोजन वितरण केन्द्रों में योजना के संचालन की स्थिति छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि आदि का निरीक्षक करते है । भ्रमण के समय निरीक्षक सरपंच, पंचायत, सचिव से संपर्क कर कार्यक्रम के संचाल में आ रही कठिनाइयों की जानकारी ले दे सकेगें तथा अपने निरीक्षण टीप में उसे दर्ज करेंगे । जिला अधिकारी जिला स्तर से इनका निरीक्षण रोस्टर जारी करेंगे ।

(६) यह योजना २ अक्टूबर १९९५ से आरम्भ की गयी है इसमें विभाग की एक बहुत बड़ी धन राशि व्यय हुई है अतः आवश्यक हो गया है कि जिला अधिकारी इस राशि समायोजन प्रति संस्था के आधार पर करना सुनिश्चित करें तथा आहरित राशियों का महालेखाकार से समायोजन करावें । जिला अधिकारी जिला प्रशासन के मार्ग दर्शन में यह कार्य ३० जून से पूर्व कर विवरण विभाग को उपलब्ध करावेंगे ।

उपयुक्त आदेश इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभावशील होगा । जिला अधिकारी इसके पालन में असफल होने पर दण्ड के लिए जिम्मेदार होंगे ।

आयुक्त
आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं
अल्प संख्यक कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक/एम.डी.एम./10/2004-05/ रायपुर, दिनांक :-

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
जिला----------------(छ0ग0).

विषय :- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोईयों के मानदेय के भुगतान बाबत् ।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र./एफ-17-75/03/253/आ.जा.क/रायपुर दिनांक 26/6/04.

====0====

विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्र./मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम/03-04/4268+69 रायपुर दिनांक 19/5/03 का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

कार्यालयीन पत्र द्वारा अवगत कराया था, कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोईयों के मानदेय का भुगतान पूर्व में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था । ग्राम पंचायतों द्वारा रसोईयों के मानदेय के भुगतान में असमर्थता बताई जाती है । तथा रसोईयों के मानदेय के भुगतान हेतु जिलों में पृथक से आबंटन की मांग की जाती है ।

अतः निर्णय लिया गया है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु जो राशि आपको आबंटित की जाती है । उसी राशि में से रसोईयों के मानदेय का भुगतान किया जावे । तथा यह स्पष्ट किया जाना है कि रसोईयों के मानदेय हेतु पृथक से कोई बजट उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है ।

कृपया इस संबंध में त्वरित कार्यवाही अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें । तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास, रायपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0/एम.डी.एम./10/2004-05/7383 रायपुर, दिनांक:- 21-7-04

प्रतिलिपि:-

(1) सचिव, छ0ग0शासन, आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास, विभाग के संदर्भित पत्र में सूचनार्थ ।

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

क्रमांक/एम॰डी॰एम॰/13/05/ 3715 रायपुर, दिनांक-29/3/05

कार्यालय कलेक्टर
राजनांदगांव (छ.ग.)
शाखा
7 APR 2005
अधीक्षक

प्रति,

कलेक्टर,

जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय:- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने बाबत् ।

संदर्भ:- छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र॰ एफ 17-75/2005/25-3/आजाक/रायपुर दिनांक 11-03-05

2-छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक/723/वि-5/म॰भो॰/27/2005, रायपुर, दिनांक 21-02-05

-----x-----

राज्य शासन द्वारा चालू वर्ष में प्रदेश के 15 जिलों के 85 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है । सूची संलग्न है । संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि इन सूखाग्रस्त तहसीलों में ग्रीष्मावकाश (एक मई 2005 से 30 जून 2005 तक) के दौरान मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन किया जाना है ।

अत: आप उक्त 15 जिलों के 85 तहसीलों में से तहसीलवार आदिवासी विकास खण्डों को चिन्हित कर लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं होने वाले अनुमानित व्यय का आकलन कर मांग पत्र तत्काल इस कार्यालय को फेक्स से प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही त्वरित रूप से की जा सके । इसी तरह वर्ष 2005-06 में इस योजना अंतर्गत लगने वाली कुल राशि की जानकारी भी भिजवाएँ ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

अपर संचालक,
वास्ते-आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

(एस॰शर्मा 28.3.05)

कलेक्टर
...गांव (छ.ग.)
27 SEP 2006

3145

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / ... / 26 / 2006 / 16782 रायपुर, दिनांक 31/08/06

प्रति,

कलेक्टर (13–उपयोजना जिले)
जिला– राजनांदगांव
(छ0ग0)

COLLECTOR, RAJNANDGAON (C.G.)

विषय :– सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 196 / 2001 के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय का छटवां प्रतिवेदन ।

संदर्भ :– शासन का पत्र क्रमांक / एफ–17–57 / 003 / 25–3 / आजाक दिनांक 13–02–2006

(208)

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से मान0 सर्वोच्च न्यायालय के छंठवे प्रतिवेदन में विभाग से संबंधित प्रतिवेदन / अनुशंसा प्राप्त हुई है जिसके तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को कारगर एवं उपयोगी ढंग से संचालित करने से संबंधित बिन्दु है । अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन करने के संबंध में निम्न कार्यवाहियां सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

MDM 29/9/06

1. राजस्व विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष सूखा प्रभावित तहसील घोषित किये जाते है। इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के समय भी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जारी रखे जाये ।

2. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

   (अ) पक्का कुकिंग शेड
   (ब) पचास मीटर के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था ।
   (स) पकाने हेतु रसोईया / सहायक की व्यवस्था अथवा स्वयं सहायता समूह / ग्राम शिक्षा समिति से भोजन पकाने की व्यवस्था ।

3. गर्म भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं भोजन में पोष्टिक तत्व (300 कैलोरी उर्जा व 8 से 12 ग्राम प्रोटिन) शामिल किये जाने एवं संबंधित विभाग से इसकी नियमित जॉच एवं मानिटरिंग करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।

4. आदिवासी विकासखण्ड में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला, शासकीय सहायता प्राप्त शालाएं, स्थानीय शासन से संचालित शालाएं, ई0जी0एस0 व वैकल्पिक व नवाचारी स्कूल (AIF) में दर्ज विद्यार्थियों को इस योजना के

D/MDM

तहत् शतप्रतिशत लाभान्वित किया जावे, यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्यक्रम न्यनतम 200 दिनों तक चलाया जावे तथा प्रतिदिन गर्म पकाकर भोजन प्रदाय हो व न्यूनतम 300 कैलोरी तथा 8–12 ग्राम प्रोटिन प्राप्त हो ।

अतः उपरोक्त अनुशंसाओं के अनुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें । जिन वितरण केन्द्रों पर पक्का किचन शेड नहीं बने है वहाॅ पर पक्का किचन शेड बनाने के प्रस्ताव विकासखण्डवार तैयार कर इस कार्यालय को भेजे जावे एवं पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयोजना मद से कराने की कार्यवाही की जावें । इसका पालन प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों में प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि शासन को प्रतिवेदन भेजा जा सके ।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

(एल0के0 गुप्ता)
अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/एम.डी.एम./26/2006/ 16783 रायपुर, दिनांक 31/08/06

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला.......................................छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 24/03/2005

क्रमांक 1296 /वि-3/म.भो./2005 : इस विभाग के पत्र क्रमांक 884/79/ म.भो./2004 दिनांक 23.02.2004 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये तेल, नमक, सब्जी, दाल एवं ईंधन आदि पर आनुषांगिक व्यय एक रूपया प्रतिछात्र प्रतिदिन के मान से दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा इस व्यय का प्रावधान बढ़ाकर दो रूपये प्रतिछात्र प्रतिदिन करता है।

कार्यालय आयुक्त (आदिवासी विकास) 2 APR 2005 राजनांदगांव (छ.ग.)

2/ इस बढ़ी हुई राशि के फलस्वरूप बच्चों के भोजन गुणवत्ता में सुधार होना यह भी निर्देशित किया जाता है कि :-

क. प्रतिदिन बच्चों को न्यूनतम चावल, दाल, सब्जी, पापड़ एवं अचार दिया जाए ।

ख. भोजन के साथ सप्ताह में कम से कम 2 दिन खीर अथवा कोई अन्य मिठाई भी दी जाए ।

ग. यथासंभव प्रतिदिन भोजन के साथ मौसमी फल भी दिये जाए ।

घ. बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की सलाह से आयरन फोलिक एसिड की गोलिया, विटामिन 'ए' की खुराक तथा कृमि के इलाज की दवा भी दी जाए ।

ड़ खाना पकाने में केवल आयोडीन युक्त नमक या अमृत नमक का ही उपयोग किया जाए ।

च. भोजन में प्रति छात्र कम से कम [illegible]00 [illegible] कैलोरी [illegible] प्रोर्टीन होना चाहिये ।

छ. वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण का परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाए और उसके अनुसार उनके भोजन में बदलाव किया जाए ।

क्रमशः.....2....

वि0

ज. स्थानीय रूप से नवाचार को बढ़ावा दिया जाए तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक भोजन सा[illegible] का उपयोग किया जाए। जहां कहीं पर बच्चे तथा उनके माता-पिता सहमत हों, वहां अंडा खिलाया जा सकता है परंतु यह ध्यान रखा जावे कि गरम पका हुआ भोजन ही खिलाया जावे।

3/ यह व्यय स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, [illegible] पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के बजट से वहन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. के. राउत)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभा

पृ. क्रमांक 1297 /वि-3/म.भो./2005 रायपुर, दिनांक 24/03/2[illegible]

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वि[illegible] मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति वि[illegible] विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि[illegible]

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव
==========================

पृ०क्रमांक 8594 /म०भो०क्र०/05 राजनांदगांव दिनांक

प्रतिलिपिः-

1. जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव
2- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी [सर्व] विकास खंड ________
जिला- राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अ[illegible]
जिला पंचायत राजना[illegible]

स्कूल शिक्षा विभाग
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ २५-४/2006/20 रायपुर, दिनांक 24/01/2007

प्रति,

समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
समस्त जिला पंचायत छत्तीसगढ़

विषय : मध्यान्ह् भोजन योजना के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी के भोजन में निर्धारित प्रोटिन एवं कैलोरी की मात्रा सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ : सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का पत्र क्रमांक 1296/बी-3/म.भो./2005 दिनांक 24.03.2005.

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में मध्यान्ह् भोजना योजना के व्यय में वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा .50 पैसे प्रति विद्यार्थी के मान से वृद्धि की गई है। राज्य शासन की मंशा यह है कि .50 पैसे की अतिरिक्त राशि से मुर्रा (Puffed Rice) एवं भुने हुए चने या मूंगफली के भुने दाने विद्यार्थी को दिए जाएँ। इनकी प्रोटीन की मात्रा एवं कैलोरी का चार्ट संलग्न है। जहां तक संभव हो तो चना-मुर्रा (Gram & Puffed Rice) या मूंगफली के भुने दाने दिये जाएँ। दूसरा विकल्प यह है कि वर्तमान मध्यान्ह् भोजन में प्रोटिन व कैलोरी की मात्रा बढ़ा दी जाए।

भारत सरकार के निर्देश है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मध्यान्ह् भोजन में कम से कम 4.50 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराए जाए। अतएव आप इस अतिरिक्त राशि का उपयोग इस प्रकार करना सुनिश्चित करें कि मध्यान्ह भोजन में प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 4.50 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन अनिवार्यतः प्राप्त हो जाए।

Circulate

यह निर्देश तत्काल प्रभावशाली होगा।

N Dm

23/1/2007

(सी.के. खेतान)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक/एफ२५-४/2006/20 रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी, छ.ग.शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, छ.ग.शासन, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. संचालक, आदिवासी विकास, रायपुर
7. संचालक, छ.ग.लोकशिक्षण संचालनालय, रायपुर
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

736
3/2/07

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर पिन– 492001

क्रमांक /1703/2008/20–एक रायपुर, दिनांक

प्रति,

समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत –
(छ0ग0).

विषय :– मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय में वृद्धि करने बावत् ।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक 6673/11846/2007/20, दिनांक 29.11.2007.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । इसमें आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है । वर्तमान में राज्य शासन द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु कुकिंग कास्ट की राशि रू. 2.50 प्रति विद्यार्थी के मान से दी जाती है । इस राशि में राज्य शासन की राशि रू. 1.00 एवं केन्द्र शासन की राशि रू. 1.50 है । कुकिंग कास्ट की राशि रूपये 2.50 में ही रसोईये के मानदेय की राशि सम्मिलित है ।

अतः मध्यान्ह भोजन के रसोईयों को संबंधित जिले में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार प्रति कार्य दिवस के लिए आधे दिन की मजदूरी की राशि से अधिक न हो उतनी राशि मध्यान्ह भोजन की कुकिंग कास्ट में से कुकिंग एजेन्सी द्वारा भुगतान की जावे ।

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 2107 /1703/2008/20–एक रायपुर, दिनांक 13-3-08

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा के निज सचिव, मंत्रालय रायपुर,
2. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आ.ज.क. विभाग, छत्तीसगढ़
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छ0ग0,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Letter/Siksha/3/11/2008/11:28 AM

318

29 MAR 2008

प्रतिलिपि
विकासखंड शिक्षा अधिकारी
... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

क./मध्यान्ह भोजन/आबंटन /07–08/ रायपुर, दिनांक /04/2008

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत माह अप्रैल 2008 हेतु खाद्यान्न का उचित मूल्य की दुकानों में भंडारण ।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक/मध्यान्ह भोजन/आबंटन/07–08/418 दिनांक 24.03.2008

––00––

विषयांतर्गत स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शिक्षा सत्रान्त 30 अप्रेल 2008 तक जारी रखना है । भारत शासन से आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह सुनिश्चित करें कि माह अप्रेल 2008 के लिए मध्यान्ह भोजन का चावल स्कूलों को उपलब्ध कराने हेतु खाद्य विभाग की बेवसाइट पर आवश्यक खाद्यान्न की प्रविष्टि कर देवें, जिससे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो ।

कृपया इसे सर्व प्राथमिकता देवें ।

हस्ता/–
संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ.क्र./मध्यान्ह भोजन/आबंटन/07–08/ 431 रायपुर, दिनांक 2/04/2008

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर
2. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर
3. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, रविशंकर विश्व विद्यालय परिसर, रायपुर
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छत्तीसगढ़

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

(आदिवासी विकास)
5 APR 2008
(छ.ग.)

-21-

आवक लिपिक 1715/25-2
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग,मंत्रालय, राय
दिनांक 12/8/08 200

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन,रायपुर
-----0-----
// आदेश //

कमांक एफ 27-8/2008/20- एक :: रायपुर दिनांक

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है, कि प्राथमिक शालाओं /पूर्व माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन पकाने के लिये प्रदायित कुकिंग कास्ट कमशः रूपये 2.58 प्रतिछात्र प्रतिदिन एवं रूपये 2.60 प्रति छात्र प्रतिदिन में से ही रसोइए का मानदेय (जहॉ कुकिंग एजेंसी द्वारा भोजन रसोइए के माध्यम से बनवाया जाता है) रूपये 0.50 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से किंतु रूपये 36/- से अनाधिक दिया जा सकेगा।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया जाता है, कि कुकिंग कास्ट की राशि (रूपये 2.58 प्रति छात्र प्रतिदिन प्राथमिक शाला के छात्रों के लिये एवं रूपये 2.60 प्रति छात्र प्रतिदिन पूर्व माध्यमिक शाला के छात्रों के लिये)का उपयोग पका हुआ भोजन प्रदाय करने में ही किया जावे। यदि पका हुआ भोजन देने के पश्चात् राशि शेष बचती है, तो जिला कलेक्टर स्वविवेक से उक्त राशि से चना मुर्रा कय कर बच्चों को बॉटने के निर्देश कुंकिग एजेंसी को दे सकेंगें।

नंद कुमार
(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक एफ 27-8/2008/20- एक रायपुर, दिनांक 6/8/08

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालंय रायपुर
2. प्रमुख सचिव,छ0ग0 शासन, वित्त एवं योजना, मंत्रालय रायपुर
3. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास / पंचायत एवं ग्रामीण विकास/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ नगरीय कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग
4. आयुक्त, लोक शिक्षण छ0ग0
5. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
6. समस्त, कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

11 AUG 2008

नंद कुमार
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग